



संपादकीय

मुक्त व्यापार नीति में खुलापन दिखाने की जरूरत

चाइना प्लस बन के कारण खुली अवसर की यह खिड़की हमेशा के लिए नहीं खुली रहेगी। श्रम का निर्यात हमें वस्त्र, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण या सॉफ्टवेयर सेवाओं में उच्चतर लक्ष्य पाने में प्रतिस्पर्धी बढ़त देता है। सभी क्षेत्रों में मुक्त या लगभग मुक्त व्यापार को अपनाना हमारे हित में है। भले ही मंदी के असर से प्रभावित दुनिया में व्यापार में हमारी हिस्सेदारी 3 से 4 प्रतिशत तक बढ़ती है तो भी यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा। भारत तीन साल पहले चीन सहित 15 देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी आरसीईपी से अचानक बाहर निकल गया था। आरसीईपी व्यापार वार्ता लगभग 10 वर्षों से चल रही थी जिसमें भारत सक्रिय और उत्साही भागीदार रहा था। मौजूदा आरसीईपी समझौते वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। भारत के बिना आरसीईपी का अंदरुनी व्यापार 2.3 ट्रिलियन डॉलर का है। अंततः आरसीईपी समझौता इस साल 1 जनवरी को लागू हुआ। समझौते में शामिल देश इस इंतजार और उम्मीद में थे कि भारत इसमें शामिल होगा। इसमें समझौते में सहयोग के व्यापक क्षेत्र शामिल हैं तथा सभी प्रकार के शुल्कों में से लगभग 90 प्रतिशत को समाप्त करने का प्रयास किया गया है जिससे यह एक प्रकार का आर्थिक संघ बन जाएगा। भारत ने अंततः इसमें शामिल नहीं होने का निर्णय शायद इस आशंका और डर के कारण लिया कि यदि भारत में चीनी सामान शुल्क मुक्त प्रवेश करेंगे तो इससे घरेलू बाजार डूब जाएगा। हालांकि चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा पिछले तीन वर्षों से लगातार बढ़ रहा है तथा लदाख में संघर्ष के बावजूद कुल व्यापार भी बढ़ा है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि जीडीपी ग्रोथ भी 7 या 7.5 फीसदी की वृद्धि की ओर लौटी दिख रही है। भारत को कई वैश्विक निवेशकों की चीन प्लस बन रणनीति से अंततः लाभ होगा क्योंकि वे चीन के बाहर वियतनाम, थाईलैंड या यहां तक कि भारत जैसे अन्य देशों में कारखाने स्थापित करना चाहते हैं। आरसीईपी पर हस्ताक्षर न कर भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स एकपट्टा तथा ३०टोमेटिव जैसे क्षेत्रों में विनार्पण आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न हिस्सों में पूंजी निवेश आकर्षित करने की अपनी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब निवेशक अपने निवेश का ठिकाना चुनते हैं, जो एक पूरी मूल्य श्रृंखला में फैला हुआ है और जो श्रृंखला बिना बाधाओं के देशों की सीमा पार करती है, तो वे माल की निर्बाध आवाजाही आसान बनाने के लिए आरसीईपी क्षेत्र में रहना चाहेंगे। जब शेष श्रृंखला आरसीईपी देशों में है तब यदि भारत आरसीईपी से बाहर है तो यह मूल्य श्रृंखलाओं में निवेशकों के लिए नुकसानदायक है। इसलिए केवल आरसीईपी के व्यापार घाटे के पहलू पर ध्यान केंद्रित कर भारत मूल्य श्रृंखला बस में बैठने से चूक सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि बॉकआउट के फैसले से पहले भारत आरसीईपी से बाहर है तो यह मूल्य श्रृंखलाओं में निवेशकों के लिए नुकसानदायक है। इसलिए केवल आरसीईपी के व्यापार घाटे के पहलू पर ध्यान केंद्रित कर भारत मूल्य श्रृंखला बस में बैठने से चूक सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि बॉकआउट के फैसले से पहले भारत का 15 में से 12 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है। भारत ने अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो आरसीईपी में शामिल है। दुनिया में तीन बड़े व्यापार समझौते हैं जो एशिया के बड़े हिस्सों में फैले हुए हैं। आरसीईपी के अलावा व्यापक तथा प्रगतिशील समझौते के लिए अन्य दो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप सीपीटीपी और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आईपीईफ कार्यरत हैं।

श्री राम जन्मभूमि आनंदालन के सारथी- श्रद्धेय अशोक सिंघल

ऋष्टवादी विचारधारा के परिसाल के बहुसंख्य हिंदू समाज में राममर्दि आदलन के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करने वाले विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक अशोक सिंहल जी के अथक परिश्रम, समर्पित व्यक्तित्व व ओजस्वी उद्घोषणों का ही परिणाम है कि आज हिंदू समाज में सामाजिक समरसता का भाव दिखायी पड़ता है। संत समाज व विभिन्न अखाड़ा परिषदों को एक मंच पर लाने का अकल्पनीय कार्य भी अशोक जी ने ही संभव कर दिखाया। अयोध्या में श्री रामजन्मभूमि मुक्ति के लिए जीवन अर्पण कर सतत प्रयासरत रहने वाले अशोक सिंहल जी ने हिंदुओं की खोटी जा रही स्मृतियों को एक बार फिर से संजोने का काम भी कर दिखाया। यह उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि आज देश का बहुसंख्यक समाज अपने आप को गर्व से हिंदू कहना चाहता है। हिंदुत्व के हित का संरक्षण करने व उसके दायित्व का वहन करने के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना भी उन्हीं के प्रयासों से संभव हो सकी। अशोक सिंहल जी ने देश, समाज, हिंदू सभ्यता, संस्कृति और संस्कार के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति तथा अयोध्या में भव्य राममंदिर निर्माण के लिए आंदोलनों की झड़ी लगा दी। वे सभी आयोजन काफी अनुशासित होते थे। जनसभाओं व कार्यक्रमों में अशोक जी के ओजरच्ची भाषणों को सुनने के लिए भारी भीड़ जमा होती थी और जब यह भीड़ वापस घरों की ओर प्रस्थान करती थी तो उसमें एक नया पन व ताजगी की उमंग होती थी लेकिन किसी प्रकार की उत्तेजना या हिस्क वातावरण का प्रदर्शन नहीं होता था। अशोक जी में विरोधाभासी विचार वाले विभिन्न समूहों को साथ में लेकर चलने की अभूतपूर्व कला थी। संघ कार्य करते हुए अशोक सिंहल ने राष्ट्र के एक सच्चे साधक के रूप में अपने आपको विकसित किया और 1942 में संघ के स्वयंसेवक बने। संघ के सरसंचालक श्री गुरुजी ने 1964 में जाने-माने संत महात्माओं के साथ मिलकर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। 1966 में विश्व हिंदू परिषद में अशोक जी का पदार्पण हुआ। अद्भुत ऊंचक शक्ति, संगठन कुशलता, निर्भीकता, अडिंग व्यक्तित्व और सबको साथ लेकर चलने की अशोक जी की विराटता ने हिंदू संगठन के रूप में विश्व हिंदू परिषद को पूरे विश्व में सबसे प्रखर हिन्दू संस्था के रूप में स्थापित किया।

प्रौद्योगिकी और खिलौने

हुआ जो शायद मानव जाति की महानतम खोजों में से एक है। "पहिया" की खोज एक खिलौने के रूप में ही हुई थी, जिसने यातायात में क्रांति ला दी है। खिलौने लकड़ी, मिट्टी, प्लास्टिक, सिरेमिक, धातु, आदि के बनते हैं। भारतीय खिलौने परंपरागत, इको फ्रेंडली मैटेरियल, जैसे लकड़ी धातु और यहां तक की सुपारी (रीवा मध्यप्रदेश में बने सुपारी के खिलौने विश्व विच्छात हैं) भारतीय खिलौनों में विज्ञान एवं मनोविज्ञान दोनों हैं। ट्रेडिशन एवं टेक्नोलॉजी दोनों हैं इकलॉजी भी है साइक्लोलॉजी दोनों हैं। भारतीय खिलौनों में विज्ञान भरा पड़ा है भारतीय खिलौनों को खेलकर

मैथमेटिक्स सब कुछ सीखा जा सकता है। चीन ऐसा देश है जो खिलौने के दम पर ही आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विश्व के देशों को भी चुनौती देता खड़ा है। उसने खिलौनों की महत्ता समझा और पूरी अपनी इकोनॉमी खिलौनों के निर्माण एवं निर्यात में लगाई जिससे खिलौनों के क्षेत्र में चीन ने विश्व बाजार में सिरमौर स्थान बनाया। आज विश्व बाजार चीनी खिलौनों से अटा पड़ा है, भरा पड़ा है, यद्यपि चीनी खिलौने स्वास्थ्य मानकों पर खरे नहीं है, प्लास्टिक एवं अन्य हानिकारक रंगों से बने होते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने खिलौनों की महत्ता समझते हए उनमें छपे विज्ञान एवं

टाइकोथेन हाईकोथून का आयोजन भी कराया ,उन्होंने "मन की बात" में भी कई बार भारतीय खिलौनों का जिक्र किया । आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय कारिगरों द्वारा "इको फ्रेंडली" खिलौनों का निर्माण किया जा रहा है । नई शिक्षा नीति 2020 में भी खिलौने आधारित शिक्षण पर जोर दिया गया है । खिलौनों में विज्ञान के अनेकानेक सिद्धांत भरे पड़े हैं जैसे "गुलेल" द्वारा विज्ञान के स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, प्रत्यास्थता, एवं प्रक्षेप्य गति को आसानी से समझा एवं महसूस किया जा सकता है । "लद्दू" द्वारा गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत एवं धूर्णी गति को आसानी से समझा जा

पजल द्वारा मानसिक एवं गणितीय योग्यता का विकास होता है। "शतरंज" जो भारत का प्राचीनतम खेल माना जाता है से बड़ी से बड़ी रणनीतिक कौशलों का विकास होता है। तभी तो मुहावरों तक में कहा जाता है "खेल खेल में"। बड़ी से बड़ी खोजे खिलौने के द्वारा ही हुई है। कंप्यूटर, मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन बासवीं सदी के बढ़े खिलौने माने गए हैं। "रोबोट" और स्मार्ट खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हैं। जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में दखल दिया है। भारत के महान शिक्षाविद आईआईटियन "अरविंद गुप्ता" ने विज्ञान और तकनीकी को खिलौनों द्वारा ही सरल भाषा में

सोशल मीडिया पर स्कॉल होती जिंदगी

डॉ सत्यवान सौरभ
अगर आप समाज से अलग-थलग
महसूस करते हैं, और सोशल
मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक,
टिवटर, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स पर
ज्यादा समय बिताते हैं तो एक नए
शोध के अनुसार, इससे स्थिति
और बिंगड़ सकती है। सोशल
मीडिया से युवाओं में अवसाद बढ़
रहा है। फेसबुक से डिप्रेशन का
खतरा 7% बढ़ा है, फेसबुक से
चिड़िचिड़ापन का खतरा 20%
बढ़ा है। सोशल मीडिया ने
मोटापा, अनिद्रा और आलस्य की
समस्या बढ़ा दी है, 'फियर ऑफ
मिसिंग आउट' को लेकर भी
चिंताएं बढ़ गई हैं। स्टडी के
मुताबिक सोशल मीडिया से
सुसाइड रेट बढ़े हैं। इंस्टाग्राम से
लड़कियों में हीन भावना आ रही
है। सोशल मीडिया के माध्यम से

पिछले एक दशक में तेजी से
लोकप्रिय गतिविधि बन गया है।
अधिकांश लोगों द्वारा सोशल
मीडिया का उपयोग सोशल
नेटवर्किंग साइटों के आदी हो जाने
से हो रहा है। वास्तव में, सोशल
मीडिया की लत एक व्यवहारिक
लत है जिस में सोशल मीडिया वे
बारे में अत्यधिक चिंतित होने का
विशेषता है, जो सोशल मीडिया पर
लॉग ऑन करने या उपयोग करने
के लिए एक अनियत्रित आग्रह से
प्रेरित है, और सोशल मीडिया वे
लिए इतना समय और प्रयास करते
हैं जो अच्युत्वपूर्ण जीवन क्षेत्रों
को प्रभावित करता है।

वर्तमान समय में फोन बड़े से
लेकर बच्चों तक के लाए जरूरी
हो गया है। बच्चों के स्कूल की
पढ़ाई भी ऑनलाइन हुई है। ऐसे में
बच्चे फोन पर ज्यादा समय बताते

पर्यटन में छिपे हैं खुशियों के उजाले



54

सत्य का खाजा न उन्हे ऐस-ऐसा
ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और
आध्यात्मिक स्थलों से साक्षात्कार करवाया है।
अनकी इन्हीं यात्राओं के दौरान अनुभूत तथ्यों का
जी एवं जीवंत चित्रण इन यात्रा ग्रंथों में किया है। जो
दृष्टियों से महत्वपूर्ण सामग्री एवं मौलिक तथ्यों को
कों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। इन यात्रा-ग्रंथों में
प्रमुख दर्शनीय स्थलों का वर्णन नहीं है बल्कि वहाँ
लोगों, वहाँ के खान-पान, वहाँ की जीवनशैली,
वहाँ के सांस्कृतिक मूल्य, वहाँ के ऐतिहासिक
तथ्य का भी जीवंत प्रस्तुतीकरण है।

ला
दर्शनीय
का वर्णन नहीं है
वहाँ के लोगों, वहाँ के खान-पान,
जीवनशैली, वहाँ के सांस्कृतिक
हाँ के ऐतिहासिक तथ्य का भी जीवंत
रण है। यह भारत पल-पल
नितनून, बहुआयामी और
की हद तक चमत्कारी यथार्थ से
। इस भारत की समग्र विविधताओं,
वीनताओं और अंतर्विरोधों से
र करना सच्चपूर्च अलौकिक एवं
अनुभव है। जिससे इस बहुरूपी
उसके बहुआयामी और निहंग
रूप में देखा जा सके और ऊबड़-
अनगढ़ता की परतों में छिपी सुंदरता
टेट किया जा सके। हम भारत को
म नजर आने लग और लगन लग
कि शायद अब भारत पर्यटक
स्थल के नाम पर पर्यटक
की पहली पसंद नह
रहेगा। दुनिया में आ
आर्थिक मंदी और
आतंकवाद के चलाए
ऐसा लगने लगा विप्र
पर्यटक अब भारत का
रुख करना पसंद नह
करेगे, पर ऐसा नह
हुआ। भारत का
सांस्कृतिक और प्राकृतिक
सुन्दरता इतनी ज्यादा है विप्र
पर्यटक ज्यादा समय तक यह
के सुन्दर नजरों देखने से दूर नह
रह सके। यही वजह है कि भारत में
विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए
विभिन्न शहरों में अलग-अलग योजनाएं भी
लागू की गयी हैं। भारतीय पर्यटन विभाग ने
अतुल्य भारत नाम से अभियान चलाया था।
इस अभियान का उद्देश्य भारतीय पर्यटन को
वैश्विक मंच पर प्रोत्साहित करना था ज
काफी हद तक सफल हुआ। इसी तरह
राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने रेलगाड़ी
की शाही सवारी कराने के माध्यम से लोगों
को पर्यटन का लुत्फ उठाने का
जिसे पैलेस ऑन व्हील्स नाम दिया गया। देश
के द्वारा विदेशी सैलानियों के लिए खोलने के
काम यदि सही और सटीक विपणन ने किया
तो हवाई अड्डों से पर्यटन स्थलों के सीधे
जुड़ाव ने पर्यटन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाई है।

धर्मानिरपेक्षता के नाम पर नेताओं को राजनीति...

कहने को तो हम एक धर्मिनरपेक्षा देश में रहते हैं। तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री ईंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान इसे सविधान की प्रस्तावना में जुड़वा दिया था। धर्मिनरपेक्षता के गुण-दोष पर जाकर कि धर्मिनरपेक्षता के बजाय सही शब्द पंथिनरपेक्षता है, देखने की यह जरूरत है कि राज्य या शासन देश के नागरिकों के मामलों में धर्म के प्रति क्या सचमुच निरपेक्ष या बाबाबरी का व्यवहार करता है। उपरोक्त संदर्भों में यूपीए राज के दौर में वह प्रसंग लोगों की याददारत में होगा, जब सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने वर्ष 2011 में एक ड्राफ्ट साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिस्सा रोकथाम विधेयक 2011 प्रस्तुत किया था। कहने को तो इस विधेयक या ड्राफ्ट का उद्देश्य साम्प्रदायिक घटनाओं पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना था। इस विधेयक का तात्पर्य यह था कि हिन्दू आक्रामक है जबकि मुस्लिम, ईसाई और दूसरे अल्पसंख्यक पीड़ित हैं। इस प्रस्तावित विधेयक में ऐसा मान लिया गया था कि दंगा सिर्फ हिन्दू करते हैं, मुसलमान, ईसाई और दूसरे सम्प्रदाय के लोग मात्र इसके शिकार होते हैं। यह पहला कानून था जो जाति के आधार पर सजा देने की बात करता था। इस प्रस्तावित विधेयक में यह भी प्रावधान था कि समूह विशेष के व्यापार में बाधा डालने पर भी यह कानून काइ अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक समाज के किसी व्यक्ति का मकान खरीदना चाहता है और बहुसंख्यक बेचने से मना कर देता है तो इस विधेयक के अन्तर्गत वह अपराधी घोषित हो जाता। यदि किसी हिन्दू की बात से किसी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को मानसिक कष्ट होता तो वह भी अपराध माना जाता। इसका मतलब तीन तलाक समाप्त करने की मांग, कॉमन स्विल कोड लागू करने की बातें सभी अपराध हो जातीं। आपराधिक कानून के विरुद्ध आरोपी तब तक दोषी था, जब तक वह अपने को निर्दोष न साबित कर दे। इससे मात्र आरोप लगा देने से पुलिस अधिकारी द्वारा वैग्रह किसी छान-बीन के हिन्दू को जेल भेज दिया जाता। यदि यह विधेयक पारित हो जाता तो हिन्दुओं का भारत में जीना ही दूर्भर न हो जाता, बल्कि हिन्दू अपने ही देश में द्वितीय श्रेणी का नागरिक हो जाता और उनके अस्तित्व पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा हो जाता। यह बात और है कि तब तक हिन्दू समाज इतना जाग्रत हो चुका था, कि उसके मुखर विरोध के चलते यह प्रस्तावित विधेयक कानून का रूप नहीं ले सका। लेकिन गौर करने की बात यह कि साम्प्रदायिकता रोकने के नाम पर इस देश में कैसे-कैसे घोर साम्प्रदायिक एवं विशेषकारी प्रयास नहीं था, इसके पूर्व 1995 में कांग्रेस

में संशोधन कर यह प्रावधान लागू कर गया कि यदि वक्फ बोर्ड किसी जादावा कर देता है, तो यह साबित कर भार जिसकी जमीन है, उसका हो जिसका उदाहरण अभी तमिलनाडु वेजिले में सामने आया, जहाँ पर 1500 पुराने एक हिन्दू मंदिर पर वक्फ अपना अधिकार जता दिया। विडम्बन कि इस्लाम को ही दुनिया में आए 1500 वर्ष पूरे नहीं हुये, फिर 1500 वर्ष पुराने मंदिर पर अधिकार दावे के औचित्य को समझा जा सकता है इतना ही नहीं त्रिची जिले के 18 बहुल गांवों पर जमीनों पर वक्फ अपनी सम्पत्ति घोषित करते हुये अधिपत्य में ले लिया है। जबविधि जमीनों के सभी मालिकाना हक गांवों के पास हैं। यह बात तब सामने आ उक्त गांवों के एक व्यक्ति ने अपनी देशी शादी के लिये अपनी जमीन बेचनी पर रजिस्ट्री विभाग ने उसे वक्फ दिया एनओसी लाने को कहा और बताया उसके बाद ही जमीन बेचने का अपना मिल सकता है। तुष्टिकरण की परामर्श कि 1995 में किये गये धारा 3 में संशोधन के तहत ऐसे एकतरफा कानून को सिविल न्यायालय में चुनौती भी नहीं सकती। मात्र इहें ट्रिब्यूनल में चुनौती भी सकती है, जिससे सभी सदस्य मुस्लिम

दिया न पर ने का जाता। त्रिची ० वर्ष बोर्ड ने यह अभी उसका पार के जाता है। हिन्दू बोर्ड ने अपने उक्त वालों में जब वार्षी की चाही, बोर्ड से आया कि वधकारा यह रोधन किसी जी दी जा दी जा होते का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा। गौर करने का विषय यह कि इस्लामी देशों यथा पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, ईरान में भी ऐसा कानून नहीं है। पर धर्मनिरपेक्ष कहे जाने वाले भारत में ऐसा तुष्टिकरण की पराकाश्च वाला कानून है। यद्यपि उक्त कानून को सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता अशिवनी उपाध्याय ने उच्च न्यायालय दिल्ली में चुनौती दी है, पर इसका नतीजा क्या होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वक्फ बोर्ड के भी हैसियत के बारे में शायद बहुत लोगों को पता न हो। पर सच्चाई यह कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। बताया जाता है कि ४ लाख एकड़ से ज्यादा भूमि वक्फ बोर्ड के पास है। इतना ही नहीं ८.५४५०९ परिसम्पत्तियां भी वक्फ बोर्ड के पास है। स्थिति यह कि कब्रिस्तान के पास अवैध मजार, मस्जिद की सभी भूमियाँ वक्फ बोर्ड की हो जाता है। बावजूद इसके २०१४ में यूपीए सरकार द्वारा जाते-जाते लुटिंग्स दिल्ली की १२३ सरकारी सम्पत्तियाँ वक्फ बोर्ड को सौंप दी गईं। स्थिति की भयावहता यह कि किसी दिन यदि वक्फ बोर्ड यह कह दे कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य उसके अधिपत्य में हैं, क्योंकि यहां पर लाले समय तक मुस्लिम शासकों का राज रहा है, तो कानूनी स्थिति यही है कि यह राज्य वक्फ बोर्ड के मान लिये जायेंगे और जो भी साबित करना होगा कि वक्फ बोर्ड का दावा गलत है। कुल मिलाकर स्थितियां प्रस्तावित साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक की तरह ही है, जिसमें किसी भी स्थिति में हिन्दू को ही यह साबित करना पड़ता कि वह निर्दोष है, और मुसलमान या किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के कहने से हिन्दू दोषी हो जाता। संभवत ऐसी विषम और विभेदकारी शक्तियों से लैसे वक्फ बोर्ड को ही समाप्त करने पर मोदी सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है, जो एक उचित और सामयिक कदम कहा जा सकेगा। योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की ऐसी अवैध सम्पत्तियों को लेकर राजस्व अभिलेखों में सुधार के लिये आदेश कर दिया है। इधर कुछ वर्षों से हिन्दुओं में बढ़ती जागरूकता एवं उनमें एक सकारात्मक संगठित होने की प्रवृत्ति के चलते असुदृश्य ओवैसी और कई हिन्दू विरोधियों का कहना है कि भाजपा और संघ के चलते देश का हिन्दू संकीर्ण, कट्टर और असहिष्णु हो चला है। जबकि सच्चाई यह कि इस देश के हिन्दू समाज को देश की नकली और एकतरफा धर्मनिरपेक्षता क्रमशः समझ में आ रही है। एक हिन्दू के लिये तो बाल विवाह और पदार्थ कुरीतियाँ थीं, पर मुसलमानों में तीन तलाक, हलाला और बुरका, हिजाब और बहु विवाह का अधिकार सब उनके निजी

